12/12/22 पत्रावली आज वास्ते निर्णय पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी 3 व 4 के संबंध में वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र नोट प्रेस किया। शेष अप्रार्थीगण के विरुद्ध पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड राजस्व ग्राम राणासर पटवार हल्का आगवाडी स्थित खसरा नंबर 415 रकबा 0.16 हेक्टेयर, 416 रकबा 1.21 हेक्टे0, 418 रकबा 0.50 हेक्टे0, खसरा नंबर 432/1082 रकबा 0.15 हेक्टे0 प्रार्थी की एकल खातेदारी मे दर्ज है। जिसका बाद सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी कराने के प्रार्थी को विधिक अधिकार है। अतः प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम राणासर पटवार हल्का आगवाड़ी स्थित खसरा नंबर 415 रकबा 0.16 हेक्टेयर, 416 रकबा 1.21 हेक्टे0, 418 रकबा 0.50 हेक्टे0, खसरा नंबर 432/1082 रकबा 0.15 हेक्टे0 की प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 01.06.2015 पत्थरगढ़ी की जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)